UPBJ010118282024

**न्यायालय–अपर जिला एव सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, (ई0सी0 एक्ट), बिजनौर।**

**विशेष सत्र परीक्षण संख्या–2087/2024**

**सरकार बनाम विजेन्द्र**

**दिनांकः–27–10–2025**

पत्रावली पेश हुयी, पुकार कराई गयी।

प्रार्थी/अभियुक्त **विजेन्द्र सिंह** की ओर से एक प्रार्थनापत्र क–10 अन्तर्गत धारा–152(2) विद्युत अधिनियम प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस मुकदमे की कार्यवाही विद्युत अधिनियम की धारा 152 के अन्तर्गत समाप्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

विद्युत विभाग की आख्या के अनुसार अभियुक्त के ऊपर मु0 16,000/–रूपये शमन शुल्क तथा मु0 2,666/–रूपये का राजस्व निर्धारण शुल्क बकाया है। न्यायालय में उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा प्रार्थनापत्र का विरोध किया गया।

वाद के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये धारा 152 (2) विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत इस वाद की कार्यवाही को समाप्त किये जाने का कोई आधार नहीं है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा दिया गया प्रार्थनापत्र कागज सं0 क–10 निरस्त किये जाने योग्य है।

**आदेश**

प्रार्थनापत्र क–10 निरस्त किया जाता है। पत्रावली वास्ते साक्ष्य हेतु दि0 27–11–2025 को पेश हो।

**(सुबोध सिंह)**
**अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/**
**विशेष न्यायाधीश, (ई0सी0 एक्ट)**
**बिजनौर।**



Digitally signed by Subodh Singh
Date: 2025.10.27 16:46:22 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court